

न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - नीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कम्प कोर्ट) कैम्प 2018

- आदेश -

प्राची के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाला-श्री व नृ.ज.नि. बिरा की रिपोर्ट तथा सहसीलदार बनेडा की अनुज्ञा के आधार पर राजस्थान नृ- राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसरण में पत्र सखा(पुर) सहसील बनेडा जिला नीलवाडा की अज्ञात सन्वत् 2071-74 में खाता संख्या 47, 48 में वर्णित भू-सिद्धि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अन्ततः दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्राप्ति (अशुद्ध प्राप्ति)	आदेश (शुद्ध प्राप्ति जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
	श्रीश्रीपुरा	47	भोला पिता कुलधारा जाट	भोला पिता कुलधारा जाट
		48	भोला पिता कुलधारा जाट	भोला पिता कुलधारा जाट

(रतन लाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - नीलवाडा

क्रमांक - 351/18

दिनांक - 11/5/18

प्रतिलिपि -

1. सहसीलदार बनेडा को भेजकर देना है कि आदेशानुसार राजस्व सिद्धि में अन्ततः शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट निम्नलिखित है।
2. प्राची श्री भोला पिता कुलधारा जाट को सूचनाएं।
3. रक्षित भद्रादली

(रतन लाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - नीलवाडा